# // कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग) //

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No 0788 2283410, Fax No 0788 2284488


## -:: नियम शर्तें ::-

नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा के स्वामित्व की निर्मित मंगल भवनों को विवाह/धार्मिक कार्य/सामाजिक कार्य/सांस्कृतिक आयोजन एवं उपयोग हेतु अधिकतम 05 वर्षों के लिये संचालन/संधारण पर देने हेतु दर आमंत्रित किया जाता है।

<u>नियम शर्तें निम्नानुसार है:-</u>

1. प्राप्त उच्चतम वार्षिक दर पर संचालन/संधारण के लिए बंद लिफाफा में 03 लिफाफा पद्धति से आमंत्रित किया जाता है। छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 प्राप्त उच्चतम दर के अंतर्गत होगी। निगम किसी उच्चतम वार्षिक किराया दर को मंजूर करने के लिये बाध्य नहीं होंगे।

2. उपरोक्त भवन उच्चतम राशि वार्षिक किराये के आधार पर 05 वर्ष के लिये आबंटन किया जाना है। तदनुसार किरायेदार द्वारा लगातार 05 वर्ष तक नियम/शर्तों का पालन करते हुये निर्धारित वार्षिक किराया राशि प्रति वर्ष अग्रिम में जमा करने पर किरायेदारी में क्रमशः आगामी वित्तीय वर्ष के लिये क्रमिक 15% वृध्दि मानी जावेगी। निर्धारित वार्षिक किराया राशि समयावधि में जमा नही करने पर किरायेदारी स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

   सफल किरायेदार को प्रत्येक वर्ष का निर्धारित वार्षिक किराया राशि आगामी किरायादारी वर्ष/तिथि पारंभ होने के एक माह पूर्व अग्रिम में एकमुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। प्रथम वर्ष 2026–27 का किराया राशि सूचना तिथि के 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि वह उक्त नियत तिथि के भीतर देय सम्पूर्ण वार्षिक किराया राशि जमा नहीं करता है, तो उसकी अमानत राशि 2.00 लाख रूपये स्वतः/राजसात कर लिया जाएगा।

3. उस दशा में जब प्रथम/सफल किरायेदार जिसका बोली मंजूर किया जाता है। ऊपर विहित समय के भीतर देय संचालन/किराया राशि जमा नहीं करता है, तो शर्त (दो) में यथास्थिति प्राधिकारी दूसरे (द्वितीय) उच्चतम किरायेदार के बोली को मंजूर कर सकेगा तथा सूचना पर

द्वितीय किरायेदार भी विहित समय के भीतर देय किराया राशि जमा नहीं करता है, तो उसका भी जमा अमानत राशि स्वतः/राजसात माना जावेगा।

4. लिफाफा 01 में धरोहर राशि

| | | |
|---|---|---|
| लिफाफा 01 में धरोहर राशि | — मंगल भवन, भिलाई—03 | — 02 लाख |
| | — सामुदायिक भवन, चरौदा | — 03 लाख |
| | — सांस्कृतिक भवन, उमदा, | — 30 हजार |

— लिफाफा 02 में दर का उल्लेख होगा।

— लिफाफा 03 में, लिफाफा 01 व 02 को बंद का स्पीड पोस्ट से दिनांक 17.04.2026 संध्या 5.00 बजे तक जमा करना होगा, बाद में प्राप्त लिफाफा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

5. किराया हेतु प्रस्तुत दर एक वर्ष के लिये देना होगा, जिसमें 15% प्रतिवर्ष वृध्दि की जावेगी।

6. यदि शर्त (दो) में यथा निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह राय हो कि द्वितीय उच्चतम किराया को स्वीकृत करने के बजाय पुनः (RFP) आमंत्रित किया जाना आवश्यक है, तब ऐसे द्वितीय किरायेदार की जमा अमानत राशि का वापस कर दिया जाएगा तथा पुनः (RFP) की कार्यवाही की जावेगी।

7. भवन का किरायादारी/(RFP) हो जाने की स्थिति में नगर पालिक निगम द्वारा किरायादारी अवधि के मध्य के किन्ही तिथियों में किसी कार्यक्रम/समारोह के लिये की गई बुकिंग/आरक्षण, जमा राशि किरायेदार को भुगतान/देय किराया राशि में समायोजन होगा। उक्त अवधि/माह के लिये नगर पालिक निगम, भिलाई—चरौदा द्वारा की गई बुकिंग/भवन के आरक्षण अनुसार बुकिंगकर्ता को देय होगा।

8. किरायेदार को प्रथम वर्ष किराया राशि जमा करने के पश्चात से अनिवार्य रूप से भवन का कब्जा प्राप्त कर निगम से स्वयं के व्यय पर विधिवत किरायादारी अनुबंध निष्पादन स्वीकृत किराये के आधार पर नियमानुसार निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर में कराना होगा। नियमानुसार अनुबंध पत्र का पंजीयन भी कराना होगा। भवन की किरायादारी अवधि, स्वीकृत वार्षिक किराये पर भवन का कब्जा प्राप्ति/अनुबंध दिनांक से निर्धारित शर्तों का पालन किये जाने समयावधि में निर्धारित वार्षिक किराया राशि अग्रिम में जमा करने पर निरंतर 05 (पांच) वर्षीय होगी।

9. भवन के प्रचलित वार्षिक किराये में प्रत्येक वर्ष 15 (पंद्रह) प्रतिशत वृध्दि निरंतर होगी, किरायादारी अवधि समाप्ति पश्चात निगम द्वारा भवन/संपत्ति का तत्काल कब्जा वापस ली जाकर पुनः (RFP) की कार्यवाही की जावेगी।

10. किरायेदार/अनुज्ञप्तिधारी किराये पर ली गई उक्त भवन को किराये /अनुज्ञप्ति की अवधि में किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं करेगा, न ही किसी व्याक्ति को उप किराये पर भवन का कब्जा देना। भवन पर स्वामित्व निगम का होगा तथा किरायादारी अहंस्तांतरणीय होगी। किरायेदार/अनुज्ञप्तिधारी उक्त भवन को यथाचित शुल्क लेकर सांस्कृतिक/सामाजिक /वैवाहिक

21.3.24.

कार्यक्रम/समारोहों के आयोजन के लिये ही उपयोग करेगा। अन्यथा की स्थिति में किरायेदार को आर्थिक रूप से दंडित एवं उसकी किरायेदारी समाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

11. अनुज्ञप्तिधारी/किरायेदार अनुज्ञप्ति की अवधि में भवन में किसी भी प्रकार का निर्माण/पुर्ननिर्माण का कार्य नहीं करेगा, भवन के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा एवं आबंटित भवन को उसी हालत में रखेगा, जिस हालत में दिया गया था। आबंटित भवन के समुचित रख रखाव एवं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किरायेदार की रहेगी। किरायेदार को स्वयं के व्यय से भवन/कमरों का नियमित एवं समुचित साफ–सफाई, रंगाई–पुताई की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।

12. किरायेदार को उक्त भवन में विद्युत आपूर्ति की देय विद्युत बिल का नियमित भुगतान करना होगा, वहीं भवन में किसी भी विभाग द्वारा लगाए जाने वाले करों/फीसों का भुगतान करना होगा। भवन में जल आपूर्ति संबंधी कर/फीस का भुगतान करना होगा।

13. किरायेदार आबंटित भवन में मादक पदार्थ, क्षार पदार्थ, कल–कारखाने, खाद, गोदाम आदि रखने निषिध्द कार्यों के लिये उपयोग नहीं करेगा।

14. किरायेदार द्वारा जानबुझकर भवन संपत्ति को नुकसान/क्षति पहुंचाने की स्थिति में या किरायेदार की लापरवाही से भवन सम्पत्ति को नुकसान/हानि के लिये किरायेदार जिम्मेदार रहेगा तथा इस संबंध में निगम का निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसी क्षति की मरम्मत किरायेदार को निगम की देखरेख में स्वयं के व्यय से कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में क्षतिपूर्ति किरायेदार को आर्थिक रूप से दंडित की जा सकेगी।

15. निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों/पदाधिकारियों को किसी भी सुविधाजनक समय में एवं कभी भी भवन में प्रवेश कर भवन सम्पत्ति की व्यवस्था/रख रखाव को देखने एवं जांच/परीक्षण का अधिकार होगा।

16. किरायेदारी/अनुज्ञप्ति की अवधि में किरायेदार को आबंटित भवन/संपत्ति के रख रखाव या उसके उपयोग की शुल्क वसूली से होने वाली वाली आर्थिक हानि/नुकसानी के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस संबंध में किरायेदार को निगम या उसके किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूध्द कोई दावा/आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

17. किरायेदार को उक्त भवन का प्रत्येक आगामी वर्ष का निर्धारित वार्षिक किराया राशि अग्रिम में एक माह पूर्व विधिवत जमा कर रसीद प्राप्त करना होगा। विहित समयावधि में किराये की राशि भुगतान न करने की स्थिति में भवन का किरायादारी स्वमेव समाप्त माना जावेगा । किरायेदार द्वारा उक्त भवन [illegible] निगम कोष में जमा किराया राशि किसी भी स्थिति में उसे वापसी/भुगतान योग्य नहीं होगी।

18. यदि अनुज्ञप्तिधारी/किरायेदार की अनुज्ञप्ति अवधि में मृत्यु हो जाती है, तो सूचना/प्रस्तुत आवेदन पत्र/ प्रमाणिक दस्तावेजों के तहत उसके द्वारा निर्धारित, नामांकित अथवा उसके कानूनी उत्तराधिकारी के नाम पर भवन का किरायादारी हस्तांतरण की अनुमति/स्वीकृति दिये जाने बाबत् आयुक्त द्वारा विचार किया जा सकेगा।

19. अनुज्ञप्ति/किरायेदारी अवधि के बीच में किरायेदार द्वारा स्वेच्छा से भवन का एकतरफा कब्जा रिक्त नहीं किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में उनकी सम्पूर्ण जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी।

20. भवनों को जिस हालत में नगर पालिक निगम, भिलाई—चरौदा द्वारा दिया गया है, उसी हालत में किरायादारी समाप्ति पश्चात भवन का रिक्त कब्जा निगम को वापस सौंपना होगा।

21. सार्वजनिक आयोजनों या धार्मिक कार्यक्रमों के लिये वर्ष में कम से कम 10 दिवस के लिये निःशुल्क किराये पर भवन उपलब्ध कराना होगा।

22. किरायेदार को उक्त भवन/सम्पत्ति की सुरक्षा, भवन/संबंधी की व्यवस्था, रख रखाव या किसी भी विवाद के निपटारे के संबंध में समय—समय पर शासन/निगम द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों एवं नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

23. भवनों के संधारण कार्य जैसे रंगाई, पोताई, टूट—फूट दरवाजा एवं नल बिजली इत्यादि का संधारण करने का पूरा दायित्व संबंधित ऐजेन्सी/ठेकेदार का होगा। जिसके लिये निगम से किसी भी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। पोताई प्रति वर्ष 01 बार किया जाना अनिवार्य होगा।

24. विद्युत देयक का मासिक भुगतान अनुबंधित ठेकेदार/ऐजेन्सी द्वारा किया जावेगा। किरायादारी केवल भवन का ही होगा किरायादार केटरिंग व टेट के लिये आवेदक को बाध्य नहीं किया जावेगा।

25. विद्युत उपकरण जैसे ट्यूब लाईट, सोडियम लेम्प, पंखा, इत्यादि का संधारण अनुबंधित एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा समय—समय पर किया जावेगा। जिसके लिये पालिका से किसी भी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

26. अनुबंधित किरायादार को सहायक श्रमायुक्त द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेश श्रम कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान प्रत्येक माह के 10 तारीख तक अपने श्रमिकों को करना होगा।

27. अनुबंधित किरायादार को श्रमिक कार्य पर रखने का लाईसेंस सहायक श्रमायुक्त कार्यालय से प्राप्त हो अथवा अशासकीय संगठन में फर्म एंड सोसायटी एक्ट के अंतर्गत कम से कम 02 वर्ष से पंजीकृत हो।

28. अनुबंधित किरायेदार को सफाई कार्य के लिये सफाई कामगार एवं पर्याप्त सफाई उपकरण एवं अन्य आवश्यक औषधी चुना, ब्लीचिंग, फिनाईल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

29. किसी भी आकस्मिक घटना/दुर्घटना की संपूर्ण जवाबदारी अनुबंधित किरायेदार की होगी। संधारण पर होने वाला समस्त व्यय अनुबंधित किरायेदार को वहन करना होगा।

30. संचालन कार्य में लगाये गये कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में ठेकेदार/एजेन्सी जिम्मेदार होगा तथा कार्य अवधि में किसी भी प्रकार की होने वाली दुर्घटना एवं उसकी क्षतिपूर्ति की राशि देने की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी। निगम इसके लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

31. अनुबंधित किरायेदार को भवनों, मांगलिक कार्य के उपयोग के लिये निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये शुल्क में 20% (बीस प्रतिशत) का रियायती देना होगा।

32. उपरोक्त वर्णित किसी भी शर्त या जारी आदेशों/निर्देशों का किरायेदार द्वारा उल्लंघन/अवहेलना किये जाने पर निगम द्वारा किरायादारी समाप्त कर भवनों का कब्जा वापस ले ली जावेगी। इस संबंध में की गई कार्यवाही एवं इस पर होने वाले समस्त खर्चे की वसूली निगम द्वारा किरायेदार से की जावेगी।

33. समय—समय पर शासकीय कार्यक्रम के लिये भवन निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई—चरौदा

## कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

क्र./2470/R.F.P./सम्प.वि./2026-27 भिलाई–चरौदा, दिनाँक :– 30.03.2026

### //Request For Proposal (R.F.P) 2nd Call//

**नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा क्षेत्रान्तर्गत निर्मित/स्थित विभिन्न सामुदायिक/मंगल भवन को 05 वर्षो के किराया/लीज पर दिए जाने हेतु** आयकर एवं G.S.T. विभाग में पंजीकृत व्यक्ति/फर्म/N.G.O./संस्था जिसके पास किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में समान प्रकृति के कार्य का अनुभव हो, अपनी Request For Proposal (R.F.P.) **ऑफर दर तीन लिफाफा पद्धति** से सीलबन्द लिफाफे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से **दिनाँक – 01.04.2026 समय अपरान्ह 02:00 बजे से दिनाँक – 17.04.2026 समय संध्या 05:00 बजे** तक आमंत्रित किया जाता है। Request For Proposal (R.F.P.) अन्तर्गत नियम एवं शर्ते दिनाँक – **16.04.2026** समय संध्या 05:00 बजे तक नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा के अधिकारिक website **https://www.nagarnigambhilaicharoda.com** में देखी एवं डाऊनलोड की जा सकती है। विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र. | भवन विवरण | प्रपत्र मूल्य (D.D.) | धरोहर राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वार्ड क्र. 06 उमदा स्थित सांस्कृतिक भवन | ₹ 1,000.00 | ₹ 10,000.00 |
| 2 | वार्ड क्र. 17 शांति नगर स्थित मंगल भवन | ₹ 1,500.00 | ₹ 15,000.00 |
| 3 | वार्ड क्र. 20 पंचशील नगर स्थित सामुदायिक भवन | ₹ 2,000.00 | ₹ 20,000.00 |

डाऊनलोड करने की स्थिति में उल्लेखित विवरणी अनुसार राशि के **Demand Draft** एवं धरोहर राशि जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा एवं एजेंसी के संयुक्त नाम से किसी राष्ट्रीकृत बैंक से जारी हो जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ जीवित पंजीयन की प्रति नोटरी से जारी (**रू. 100.00**) शपथ पत्र की मूलप्रति, पेन कार्ड, **जी.एस.टी.** की प्रति, आयकर क्लीयरेंस प्रमाण–पत्र की स्व हस्ताक्षरित प्रति आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा के नाम पर स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि एवं समय में प्रस्तुत करना होगा। विस्तृत नियम, शर्ते व अन्य जानकारियाँ कार्यालय के सम्पदा विभाग से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई चरौदा

"प्रकृति को क्षति न पहुँचाए, वृक्ष लगाए, पर्यावरण को शुद्ध बनाए"

2 Col. x 09 c.m.

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई चरौदा